

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग



क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक : 1 NOV 2012

अधिसूचना

राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 23 में अधिकतम 100 वर्गगज की सीमा तक भू-पट्टी (खांचा भूमि) आरक्षित मूल्य की दुगुनी दर पर विक्रय किये जाने का प्रावधान है।

राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" के दौरान उक्त सीमा को बढ़ाकर 150 वर्गगज किया जाता है। 100 वर्गगज से अधिक बड़े हुए क्षेत्रफल को आरक्षित मूल्य की दुगुनी अथवा प्रचलित डी.एल.सी. दर, जो भी अधिक हो, पर विक्रय/आवंटन किया जा सकेगा। शेष सभी नियम/प्रावधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

यह छूट एक बारीय होगी तथा अभियान अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। यह छूट ऐसे प्रकरणों में देय होगी जिनमें शिविर अवधि समाप्त होने से पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संघु)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, राजस्थान .....(समस्त)।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नविवि।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास..... (राजस्थान)।
15. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस आदेश का राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवावे एवं 20 प्रतियां इस विभाग को भिजवावे।
16. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु (सीडी संलग्न)।
17. रक्षित पत्रावली।

(आर.के.पाप्रीक)  
उप शासन सचिव-द्वितीय